



न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

दिना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
84/19	53,188 RTA	गुरगौर	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रामचरण	बनाम	सत्यनारायण	

वकील :- नारायण लाल चौरसिया

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
21/8/19	अभिभाषक वादी द्वारा एक प्रथम ^{वाद} पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जयें सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 23/9/19 को पेश हो।	15/10 19/11
23/9/19	न्यायालय पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 15/10/19 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	मंजी लाल
15/10/19	पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्ष भारतीय उपखण्ड प्रतिवादी उक्त। ता 5 व 7 भी कोर से श्री नंदकिशोर उडको. भा कमानत नामा पेश हुआ। प्रतिवादी उक्त उक्त 8 ता 12 के तलबी सम्मन अप्रारत। पुनः तलबी हेतु तलबी पेश हो-वाले तलबी। पत्रावली दिनांक 19/11/19 को पेश हो।	मंजी लाल
19/11/19	न्यायालय पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23.1.21.19 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत
कैम्प कोर्ट...12/3/22

12/3/22

पत्रावली पेश हुई। कमील प्रार्थी एवं प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में NOT PRESS किया है। प्रकरण में प्रार्थी कोई कार्य नहीं करते हैं। प्रकरण में कार्य नहीं उसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली के लिए सुभार रा मर दायित्व दफ्तर हो।

Not press
✓
12/3/22

5051 - न्यायाधीश पद के लिए आवेदन
आवेदनकर्ता का नाम
राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत
द्वारा प्रेषित। किसे कि कि कि कि
कायवाहा एव आदर्श
दिनांक